न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एम0के0सिंह
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 3069/एक/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 27.7.15 – पारित व्दारा कलेक्टर जिला जबलपुर – प्रकरण कमांक 222 अ–21/2013–14

इन्दुसिंह पुत्र सुमेर सिंह गौड़
निवासी सुन्दरपुर तहसील पनागर
जिला जबलपुर। ---अपीलांट

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर
2– घनश्यामदास पुत्र कडोरीलाल यादव
निवासी सुन्दरपुर तहसील पनागर
जिला जबलपुर मध्य प्रदेश ----रिस्पाण्डेन्टस

(अपीलांट की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदक की ओर से पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 18 – 9 – 2015 को पारित)

यह अपील कलेक्टर जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 222 अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 27.7.15 के विरूद्ध म.प्र. भू राज. संहिता,1959 की धारा 44 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपीलार्थी ने कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि उसके स्वामित्व की ग्राम सुन्दरपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 55/2 रकबा 0.60 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि लिखा गया है) को वह विकय करना चाहता है एंव उसके व्दारा रिस्पा0 कमांक 2 से विकय अनुबंध कर लिया है। इस भूमि को विकय करने के वाद उसके पास 2.97 है. भूमि बचेगी, इसलिये वह भूमिहीन भी नहीं होगा। भूमि विकय की अनुमति प्रदान की जावे। कलेक्टर जिला

जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 222 अ-21/2013-14 पंजीबद्व किया तथा अपीलांट के आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर एंव तहसीलदार पनागर से कराई। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होंने पर कलेक्टर जबलपुर ने अपीलांट की अनुपस्थिति के कारण आदेश दि. 11.5.2015 से प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त कर दिया । प्रकरण पुर्नस्थापित करने हेतु आवेदक ने संहिता की धारा 35 (3) का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दि. 27.7.15 से निरस्त कर दिया। परिणामतः अपीलांट का विक्रय अनुमति आवेदन भी निरस्त हो गया। इसी आदेश के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के यहॉ से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने प्रकरण अदम पैरबी में 11.5.2015 को निरस्त कर दिया, जबकि कलेक्टर जबलपुर को आवेदक को सूचना देना थी, जब आवेदक प्रकरण की जानकारी लेने कलेक्ट्रेट पहुंचा तब उसे अदम पैरबी आदेश की जानकारी हुई और उसने जानकारी के तत्काल वाद प्रकरण पुर्नस्थापित करने का आवेदन दिया, किन्तु कलेक्टर महोदय ने जानबूझकर पुर्नस्थापन आवेदन आदेश दिनांक 27.7.2015 से निरस्त कर दिया, जिसके कारण अपीलांट का विक्रय अनुमति आवेदन जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के वाद भी विक्रय अनुमति मिलने पर विचार होने से रह गया। अतः विचाराधीन अपील प्रस्तुत कर कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 27.7.2015 को निरस्त कर पुर्नस्थापन मंजूर करने एंव विक्रय

अनुमति दिये जाने की कृपा की जावे। अनावेदक क्र-1 के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत् रखने की प्रार्थना की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर जबलपुर ने अदम पैरबी के आदेश दिनांक 11.5.2015 के विरूद्ध दिये गये पुर्नस्थापन आवेदन को आदेश दिनांक 27.7.2015 से निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है। प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि अदम पैरबी आदेश दिनांक 11.5.15 के पुर्नस्थापन हेतु अपीलांट ने आवेदन दो माह वाद आवेदन दिया है जबकि पुर्नस्थापन आवेदन देने हेतु 30 दिवस की समयावधि संहिता की धारा 35 में निर्धारित है। विचार योग्य है कि जब तहसील एंव अनुविभागीय अधिकारी के यहां प्रकरण जांच हेतु गया एंव जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के वाद वापिस आया, अपीलांट को सूचना देकर सुनवाई हेतु आहुत करना लाजमी था, प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त नहीं करना चाहिये था। **रामगोपाल विरूद्ध बासुदेव 1973 रा.नि. 356 का न्यायिक दृष्टांत है कि " न्यायालय व्दारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया - पक्षकारों को आगामी सुनवाई हेतु दिनांक की जानकारी दी जाना चाहिये और सूचना पत्र निर्वाहित किया जाना चाहिये "।** प्रकरण में कलेक्टर व्दारा सूचना देने की कार्यवाही नहीं करना बताया गया है, जिसके कारण उनके व्दारा दिया गया आदेश दि. 11.5. 2015 एंव 27.7.2015 निरस्त किये जाने योग्य हैं।

6/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्कानुसार अपीलांट की आवश्यकता के आधार पर भूमि विक्रय अनुमति पर शीध्र विचार होना बताया गया है। प्रकरण में देखना है कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं ?

1. नायव तहसीलदार पनागर ने अपीलांट के विक्रय अनुमति आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन दिनांक 24.6.14 में के पद 2'अ' में बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरांत भूमि विक्रय होती है इसके वाद अपीलांट के पास 2.97 हैक्टर भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा एंव उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।
2. प्रतिवेदन के पद 2 'ब' में बताया गया है कि अपीलांट व्दारा विक्रय पत्र के माध्यम से स्वअर्जित भूमि है अर्थात शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।
3. नायव तहसीलदार के प्रतिवेदन के पद 2'स'अनुसार आवेदित भूमि पथरीली है जिसमें लगान से कम पैदावार होती है अर्थात अपीलांट की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।
4. अपीलांट के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदित भूमि भूमिस्वामी हक में दर्ज है एंव आवेदित भूमि पट्टे की भूमि नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि अपीलांट की भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वयं् व्दारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है और ऐसा भूमिस्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टाधारी पट्टे की शर्तो का पालन करते हुये 10 वर्ष व्ययतीत होने पर भूमिस्वामी बन जाता है, जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

5/ प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के स्वत्व एंव स्वामित्व की भूमि है जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वअर्जित है। अपीलांट अनुसूचित जनजाति संवर्ग का है जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी

है। म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 (7-ख) प्रतिबन्धित करती है कि कोई भी शासकीय पटटेदार अथवा भूमिस्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि का विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबन्ध के कारण अपीलांट ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है। अपीलांट ने भूमि विक्रय करने का अनुबन्ध शासकीय गाईड लायन के मान से निर्धारित दर पर रिस्पा0 कमांक 2 के साथ किया है, जो शासन व्दारा निर्धारित गाईड लायन के मान से विक्रय मूल्य देने तैयार है परिणामतः अपीलांट को स्वअर्जित एंव भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नजर नहीं आती है, किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 222 अ-21/13-14 में पारित आदेश दि. 11.5.2015 एंव 27.7.2015 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव अपीलांट को ग्राम सुन्दरपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 55/2 रकबा 0.60 हैक्टर के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्तांकित भूमि का विक्रय पत्र संपादित करते समय शासकीय गाईड लायन के मान से अपीलांट विक्रेता को विक्रय धन प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं ? उप पंजीयक संतुष्टि उपरांत विक्रय पत्र संपादित करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर